

18/01/17

राज्य द्वारा एडीपीओ।

अभियुक्तगण सहित अधिवक्ता श्री आर०पी० गुर्जर।

प्रकरण अभियोजन साक्ष्य हेतु नियत है।

फरियादी रामलखन उप०।

फरियादी ने व्यक्त किया कि प्रकरण में आरोपी से राजीनामा की संभावना है।

उभय पक्षों के मध्य संबंधों एवं प्रकरण की विषय वस्तु को ध्यान में रखते हुये प्रकरण में मध्यस्थता के माध्यम से उभय पक्षों के मध्य विवाद का पूर्ण रूप से निराकरण होना संभव प्रतीत होता है। अतः न्याय दृष्टांत Afcons Infrastructure Limited Vs Cheriyan Varkey Construction Company private Limited (2010)8 SSC 24 में दिए गए निर्देश के अनुसार मध्यस्थता के लिए एक उपयुक्त प्रकरण है।

उभयपक्षों से मध्यस्थता के संबंध में पूछे जाने पर उनके द्वारा प्रशिक्षित मध्यस्थ सुश्री प्रतिष्ठा अवस्थी, जेएमएफसी गोहद का चुनाव किया है।

अतः मध्यस्थता सम्प्रेषण आदेश उभय पक्षों व उनके अधिवक्ताओं के हस्ताक्षर कर मध्यस्थता हेतु उपरोक्त मध्यस्थ को भेजा जाये। मध्यस्थ को निर्देशित किया जाता है कि वे मध्यस्थता का परिणाम सफल/असफल जो भी हो आगामी नियत दिनांक तक सूचित करें।

राज्य सरकार
आयिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग
राज्य सरकार

150/16. जफर
शान लाल

वि

उभयपक्ष मध्यस्थता हेतु मय अधिवक्तागण के प्रशिक्षित मध्यस्थ के समक्ष आज दिनांक 18.05.17 को दिन में 2:30 बजे स्वतः उप० रहे।

प्रकरण आगामी दिनांक 25.05.17 को मीडियेशन कार्यवाही के प्रतिवेदन की प्रस्तुती हेतु पेश हो।

(A.K. Gupta)

Judicial Magistrate First Class
Gohad distt. Blind (M.P.)

पुनश्च:

मध्यस्थ न्यायालय से प्रकरण में मध्यस्थता कार्यवाही सफल होने की सूचना प्राप्त।

उभयपक्ष पूर्ववत्।

फरियादी की ओर से एक राजीनामा आवेदन पत्र अतर्गत धारा 320 द० प्र० स० एवं राजीनामा हेतु अनुमति बाबत मय राजीनामा अतर्गत धारा 320-2 फरियादी के हस्ताक्षर युक्त प्रस्तुत किया गया। फरियादी की पहचान अधिवक्ता श्री दिनेश गुर्जर एवं अभियुक्त की पहचान अधिवक्ता श्री आर० पी० गुर्जर द्वारा की गई।

उभयपक्षों को सुना प्रकरण का अवलोकन किया।

फरियादी ने अभियुक्त से राजीनामा बिना किसी मय, दबाव, लोभ-लालच के पारस्परिक संबंधों को मधुर रखने के आशय से किया जाना प्रकट किया है।

अभियुक्तगण पर भा० द० वि० की धारा 504 325/34 के अधीन आरोप है। जो कि शमनीय होना उपबंधित हैं। पक्षकारों के मधुर संबंध रखने के आशय एवं सामाजिक शांति बनाये रखने के आपराधिक प्रशासन के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुये राजीनामा अनुमति आवेदन स्वीकार किया जाना न्यायोचित दर्शित होता है।

अतः राजीनामा बाद तत्सदीक मय आवेदन पत्र के स्वीकार किया जाता है। अभियुक्तगण को धारा 504 325/34 भा० द० वि० के अपराध आरोपों से राजीनामा के आधार पर उपशमन की अनुमति प्रदान की जाती है जिसका प्रभाव अभियुक्तगण की दोषमुक्ति होगा।

अभियुक्तगण के जमानत मुचलके भारहीन किए जाते हैं।

प्रकरण में जब्त संपत्ति मूल्यहीन होने से अपील अवधि बाद नष्ट की जावे।

प्रकरण में आगामी दिनांक निरस्त की जाती है।

प्रकरण का परिणाम पंजी में दर्जकर नियत अवधि में अभिलेखागार भेजा जावे।

(A.K. Gupta)

Judicial Magistrate First Class

शान्त वर

मोरजी

वीरेंद्र

छा २

गुलशन

मुकेश